

र व  
काम  
की  
जा  
हुकम

गंगाजी देवी / अमला का  
हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज  
CS-45/16

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तामील  
में जारी हुए

8/25

वकुलाय फरीकेन उप०। साक्ष्य प्रतिवादी में  
प्रतिवादी रुम २ के जवाब DW 3 विकास  
के पेश शपथपत्र पर बयान कमिश्नर द्वारा  
जिस्टर्ड शर्त हुई। प्रतिवादी रुम २ के अधि.  
ने साक्ष्य प्रतिवादी समाप्त की। बायी अधि.  
ने रिबटिल साक्ष्यवादी पेश करने हेतु  
मौका चाहा, न्यायाधीश में अवसर दिया  
गया। आगामी पेशी पर आवश्यक रूप  
से रिबटिल/साक्ष्य पेश करें। पेश नहीं  
करने पर स्वतः ही बंद समझी जावेगी।  
प्रावली रिबटिल साक्ष्य हेतु दिनांक 14/8/25  
को पेश हो।

वकुलाय  
अमानुष  
फरीकेन  
25/8/25

अपर जिला न्यायाधीश  
कम सं० 1, बूंदी (राज०)

14/8/25 वकुलाय फरीकेन उप०। P.O. 1/1601  
अपकाश पर ही (प्रावली) रिबटिल साक्ष्य  
हेतु दिनांक 25/8/25 को पेश हो।

अपर जिला न्यायाधीश  
कम सं० 1, बूंदी (राज०)

25/08/25

वकुलाय फरीकेन उप०। बायी अधि.  
ने रिबटिल साक्ष्य पेश करने हेतु मौका चाहा  
परंतु रिबटिल साक्ष्यमें एबी में जवाब पेश नहीं  
करने पर साक्ष्य स्वतः ही बंद समझी जाने के  
आदेश दिए थे अतः आदेशानुसार रिबटिल साक्ष्य  
बंद की जाती है। प्रावली बयान अंतिम हेतु  
दिनांक 14/08/25 को पेश हो।

अपर जिला न्यायाधीश  
कम सं० 1, बूंदी (राज०)